

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-14

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष- 0612-2215035

सचिका सं०-मु०अ०/ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)-कालीकृत-41/2023

/पटना, दिनांक:-

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-14/2021-22 के गुप सं०-08 टउवॉ चिहुट पईन का जिर्णोद्धार कार्य की निविदा में संवेदक एस०के०ई० वर्क्स प्रा० लि०, प्रो०-सतीश कुमार, अरवल मोड़, पी० जी० रोड, श्रेया नर्सिंग होम के नजदीक, पो०+थाना-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, पिन कोड-804408 (निबंधन सं०-MWRD1119C2CO1238) द्वारा कंक्रीट मिक्सचर मशीन का फर्जी कागजात संलग्न करने के कारण उनको कालीकृत करने हेतु मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-905 दिनांक-20.03.2023 द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-258 दिनांक-03.04.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। संवेदक के पत्रांक- शून्य दिनांक- 13.04.2023 द्वारा कारण पृच्छा का जबाव देने हेतु निविदा में समर्पित की गई कंक्रीट मिक्सचर मशीन के बिल की छायाप्रति की मांग की गयी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-329 दिनांक-20.04.2023 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को उक्त कंक्रीट मिक्सचर मशीन के कागजात की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। संवेदक द्वारा अपने पत्रांक- शून्य दिनांक-31.08.2023 के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-258 दिनांक- 03.04.2023 द्वारा की गयी कारण पृच्छा का जबाव उपलब्ध कराया गया, जिसमें अनुलग्नक स्वरूप विक्रेता नूरी ट्रेडिंग, पटना के बिल की अभिप्रमाणित प्रति एवं नोटरी के समक्ष घोषणा- पत्र (शपथ पत्र) का मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी एवं कालीकरण की प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। संवेदक के पत्रांक- शून्य दिनांक-31.08.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण की अनुलग्नक सहित प्रति संलग्न करते हुये इस कार्यालय के पत्रांक-839 दिनांक-18.11.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना से मामले की पुनः जाँच कर प्रतिवेदन मंतव्य सहित उचित माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया एवं पत्रांक-218 दिनांक- 20.03.2025, पत्रांक-362 दिनांक- 21.04.2025, पत्रांक-706 दिनांक- 29.07.2025, पत्रांक-885 दिनांक- 02.09.2025, पत्रांक-983 दिनांक- 25.09.2025, द्वारा स्मारित किया गया। वांछित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-3544 दिनांक-01.11.2025 द्वारा इस कार्यालय को अनुलग्नक सहित उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के पत्रांक-2970 दिनांक-11.10.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संवेदक द्वारा उक्त निविदा में संलग्न कंक्रीट मिक्सचर मशीन का विपत्र सं०- क्रमशः 164 एवं 165 है, जबकि संवेदक द्वारा कारण पृच्छा के जबाव में अपने पत्रांक- शून्य दिनांक-31.08.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये कंक्रीट मिक्सर मशीन की अभिप्रमाणित विपत्र सं०- क्रमशः 133 एवं 144 है, जो निविदा में डाले गये विपत्र से भिन्न पाया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्र में अंकित किया

D:\Debar and blacklist\debar or blacklist mukt\61.docx

गया था कि संवेदक द्वारा फर्जी अभिलेख लगाकर निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। उक्त के आलोक में संवेदक एस0के0ई0 वर्क्स प्रा0 लि0, प्रो0-सतीश कुमार, अरवल मोड़, पी0 जी0 रोड, श्रेया नर्सिंग होम के नजदीक, पो0+थाना-जहानाबाद, जिला- जहानाबाद, पिन कोड-804408 (निबंधन सं0-MWRD1119C2CO1238) को बिहार टेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम 11 (क) के उप नियम (vii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-154 दिनांक-18.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत इस कार्यालय के आदेश सं0-58-सह-पठित ज्ञापांक-1193 दिनांक-24.11.2025 द्वारा अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया गया। कालीकृत करने संबंधी पारित उक्त आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को संबोधित अपील अभ्यावेदन दिनांक-23.12.2025 दिया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन की सुनवाई के उपरान्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश, जो विभागीय ज्ञापांक-1810 दिनांक-13.03.2026 द्वारा निर्गत है, द्वारा इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1193 दिनांक-24.11.2025 पर तत्काल रोक (Stay) लगाते हुये अपीलकर्ता द्वारा समर्पित साक्ष्य/अभिलेख की जाँच कराकर पूरक आदेश निर्गत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निदेशित किया गया। प्राप्त उक्त निदेश के आलोक में संवेदक द्वारा निविदा में समर्पित अभिलेख/साक्ष्य की जाँच व्यक्तिगत रूप से कराते हुये जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु इस कार्यालय के सहायक अभियंता को निदेशित किया गया, जिसके क्रम में सहायक अभियंता के पत्रांक-शून्य दिनांक-20.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के अनुसार संवेदक द्वारा निविदा में संलग्न कंक्रीट मिक्सचर मशीन के उक्त विप-नों को सही प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-1810 दिनांक-13.03.2026 में निहित निदेश के आलोक में संवेदक एस0के0ई0 वर्क्स प्रा0 लि0, प्रो0-सतीश कुमार, अरवल मोड़, पी0 जी0 रोड, श्रेया नर्सिंग होम के नजदीक, पो0+थाना-जहानाबाद, जिला- जहानाबाद, पिन कोड-804408 (निबंधन सं0-MWRD1119C2CO1238) को कालीसूची से मुक्त किया जाता है।

ह0/-
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक—

/पटना दिनांक—

प्रतिलिपि— संवेदक एस0के0ई0 वर्क्स प्रा0 लि0, प्रो0—सतीश कुमार, अरवल मोड़, पी0 जी0 रोड, श्रेया नर्सिंग होम के नजदीक, पौ0+थाना—जहानाबाद, जिला— जहानाबाद, पिन कोड—804408 (निबंधन सं0—MWRD1119C2CO1238) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),

लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक—

1550

/पटना, दिनांक— 11/09/2026

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),

लघु जल संसाधन विभाग, पटना